पत्र सख्या-स्था-6स्था0 कम्प्यू0// भा0स0 मा0मं0-सचि0पत्र //2020-21// 4390 // वाणिज्य कर

प्रेषक,

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग) **दिनांक:: 09 / फरवरी, 2021**

महोदय,

कृपया पत्र के साथ संलग्न संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 133/11-03-2021-93/12 टीसी राज्य कर अनु0-3 लखनऊ दिनाँक 02-02-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 सांसदों एवं विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्राप्त पत्रों पर त्वरित कार्यवाही किये जाने के संबंध में पत्र में उल्लिखित शासनादेश दिनाँक 15-10-2015 व 18-10-2017 द्वारा प्रत्येक सरकारी कार्यालयों में उक्तानुसार **"जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर"** रखते हुये उसमें मा0 सांसदों एवं विधान मण्डल के मा0 सदस्यों से प्राप्त पत्रों को दर्ज कर, पावती भेजी जाय व निस्तारण की अंतिम तिथि से संबंधित को यथाशीघ्र अवगत कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है।

उपरोक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक कार्यालय में "जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर" बनाते हुये शासनादेश द्वारा निर्गत निर्देशो के अनुसार तत्काल प्रभाव से अपेक्षित कार्यवाही की जाये।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सूर्यमणि लालचंद)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि,पृष्ठांकन, पत्र सं0व दिनांक उक्त।

1- एडीशनल कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को **विभागीय वेबसाइट** पर एवं **समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के ई-मेल पर अपलोड कराने हेतु** प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

atul tej

संख्या-133/ 11-3-2021—93 / 12टीसी

प्रेषक,

नरेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य क़र अनु0—3 लखनऊः दिनांक : 02 फरवरी,,2021

विषयः—मा0 सांसदों/विधान मण्डल सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर त्वरित कार्यवाही किए जाने के संबंध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के पत्र सं0— 01/2021/87/90—सं0शि0प0का0/2021—01(सं0शि0)/2015 ,दिनांक 2101.2021 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में की गई अपेक्षानुसार विषयगत प्रकरण में जनपद स्तर के अधिकारियों को शासन द्वारा क्रमशः मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से निर्गत शासनादेशों दिनांक 15.10.2015 एवं 18.10.2017 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

Add. Com./Add. Com. (प्रशा0) ✓

कृते कमिश्नर
02.02.2021

2726

ज्वा० कमिश्नर

एडी० कमि० (प्रशा०)
03-2-2021

732

133/11-3-21

01/2021

आवश्यक/महत्वपूर्ण

संख्या– 87 /90–सं0शि0प0का0/2021–01(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

जे0 पी0 सिंह–II,
प्रमुख सचिव,
संसदीय कार्य विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

93/12 T.C

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3–पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग लखनऊ दिनांक 21 जनवरी, 2021

विषय– मा0 सांसदों/विधान मण्डल सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर त्वरित कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के उपरान्त क्रमशः मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से निर्गत संसदीय कार्य अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–1117/90–सं–1–2015–70स/1984, दिनांक–15 अक्टूबर, 2015 एवं संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के शासनादेश संख्या– 555/90–सं0शि0प0का0/17–02(सं0 शि0)/2015, दिनांक–18 अक्टूबर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 के अन्तिम प्रस्तर में यह निर्देश दिये गये थे कि मा0 सांसदों/विधान मण्डल के सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों के पत्रों के सम्बन्ध में प्रत्येक सरकारी कार्यालयों में उक्तानुसार एक **"जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर"** रखा जाय, जिसमें मा0 सांसदों/विधान मण्डल के सदस्यों व जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों को दर्ज किया जाय। समय से उसकी पावती भेजी जाये, निस्तारण की अन्तिम तिथि से भी सम्बन्धित को यथाशीघ्र अवगत कराया जाये। जिन प्रकरणों में समय लगने की संभावना हो उसके बारे में एक अन्तरिम उत्तर भेजकर पृथक से उन्हें अवगत करा दिया जाय, जिससे मा0 सदस्यों को उसी मामले में बार–बार अनावश्यक पत्राचार न करना पड़े। तत्सम्बन्धी प्रविष्टि उक्त रजिस्टर में भी दर्ज की जाय।

शासन द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों के बाद भी मा0 सदस्यों द्वारा पुनः शासन के संज्ञान में लाया गया है कि स्पष्ट निर्देशों के बाद भी जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधिगण के पत्रों को गम्भीरता से न लेकर उन्हें कृत कार्यवाही से

क्र0 पृष्ठ–2

27.1.2021
(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव

27-01-2021
(सर्वज्ञ राम मिश्र)
विशेष सचिव
राज्य कर विभाग
उ0 प्र0 शासन।

अवगत नहीं कराया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि शासन द्वारा क्रमशः मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से निर्गत उक्त शासनादेशों दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 एवं 18 अक्टूबर, 2017 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(जे0 पी0 सिंह–II)
प्रमुख सचिव।

01/2021/

संख्या– 87 (1)/90–सं0शि0प0का0/2021–01(सं0शि0)/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
(2) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
(4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
(5) निजी सचिव, मा0 संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
(6) उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पूनम त्रिवेदी)
विशेष सचिव एवं
अपर विधि परामर्शी।